ऑन लाईन नं. GCMS 2025/48

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : सुभाष कुमार, आर.ए.एस.
न्याय निर्णयन आवेदन सं0 21/2025

श्री हंसराज गोदारा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

बनाम

1. श्री मुकेश कुमार पुत्र श्री श्योपतराय(विक्रेता), वार्ड न. 12, चक हरीपुरा, टिब्बी, हनुमानगढ़, मै0 श्री बालाजी डेयरी, वार्ड न. 3, इन्द्रा कोलोनी, धक्का बस्ती मस्जिद के सामने, पदमपुर, श्रीगंगानगर।
2. श्री अंग्रेज पुत्र श्री देवीलाल (मालिक), वार्ड न.3, खेदासरी, हनुमानगढ़, मै. श्री बालाजी डेयरी, वार्ड न. 3, इन्द्रा कोलोनी, धक्का बस्ती मस्जिद के सामने, पदमपुर, श्रीगंगानगर।

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा
एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii)/51
निर्णय

दिनांकः 11.07.2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी का गजट नोटिफिकेशन क्रमांक– प.5 (01) चिस्वा/ग्रुप 3/ई–5095/2024/दिनांक 28.06.2024 द्वारा अधिसूचित किया है व परिवादी का नमूना दिवस को पदस्थापन एवं कार्य क्षेत्र का आवंटन आयुकत (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक आयुक्ता०/खासुऔनि/संस्था/2023/10077 दिनांक 26.12.2023 के अनुसार जिला श्री गंगानगर व वर्तमान में पत्र क्रमांक आयुक्ता/संस्था. /2024/1211 दिनांक 08.07.2024 किया गया है एवं संशोधित आदेश क्रमांक आयुक्ता०/ खासुऔनि /संस्था/2024/1225 दिनांक 09.07.2024 है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियाँ न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 27.11.2024 को समय 05.40 पीएम बजे **श्रीबालाजी डेयरी, वार्ड न. 3, इन्द्रा कोलोनी, धक्का बस्ती मस्जिद के सामने, पदमपुर, श्रीगंगानगर** पर पहुँचे। मौके पर **मुकेश कुमार पुत्र श्री श्योपतराय (विक्रेता)** को अपना परिचय देकर संस्थान पर दो केन में रखे खाद्य पदार्थ **गाय का दूध** जो लगभग 30 लीटर रखा हुआ था, के बारे मे जानकारी चाही इस पर विकेता ने स्वयं को विकेता बताया व संस्थान पर दो केन में रखे खाद्य पदार्थ **गाय का दूध** को आमजन मे बेचान वास्ते बताया जिनमें मिलावट का शक होने पर विकेता से **गाय का दूध** नमूना जाँच वास्ते लेने की इच्छा विक्रेता को फॉर्म न. 5ए भरकर देते हुऐ वयक्त की मोके पर ही विक्रेता को फॉर्म न. 5 ए भरकर दिया जिस पर विक्रेता व गवाहन ने व आवेदक ने हस्ताक्षर किये। फार्म न 5ए न्याय निर्णयन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संस्थान का निरीक्षण किया और आम जनता को विक्रय हेतु गाय का दूध दो केन में रखे गाय का दूध जो लगभग 30 लीटर था में से एक केन जिसमें लगभग 10 लीटर खाद्य पदार्थ गाय का दूध को एकरूप कर विकेता से 2 लीटर खरीद कर लिया। विकेता को मौके पर ही उक्त कयशुदा **गाय का दूध** का नगद भुगतान 100 रूपये

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

किया तथा केशमीमो बनवाकर लिया। जिस पर विक्रेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर हैं और आवेदक के भी हस्ताक्षर हैं। केशमीमो न्यायनिर्णय आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5 ए की प्रतियों को तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं विक्रेता तथा गवाहान को पढ़कर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे **श्री मुकेश कुमार पुत्र श्री श्योपतराय (विक्रेता)** एवं गवाहान ने भी पढ़कर समझाकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म से 5 ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता एवं **श्री मुकेश कुमार पुत्र श्री श्योपतराय (विक्रेता)** को देकर असल पर रसीद प्राप्त की। फार्म सं. 5 ए मूल संलग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ **गाय का दूध** 02 लीटर को एकरूप कर बराबर भागों में बांटकर 4 बोतलों में भरकर लिया। प्रत्येक बोतल में फार्मेलिन की 40 बूंदे डालकर कसकर ढक्कन बंद किया और चारों बोतलों पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के कोड एवं क्रमांक **के–2612** दर्ज किया प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्री गंगानगर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं **के–2612** नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्यकारोबरकर्ता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आयें। चारों नमूना भागों के पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं विकेता तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे **श्री मुकेश कुमार पुत्र श्री श्योपतराय (विक्रेता)** एवं गवाहान ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की और दो फार्म सं. 06 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्तक पर रसीद प्राप्त की एवं शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म संख्या 6 की दो प्रतियों और चौथा भाग मय फार्म संख्या 6 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक :–:L.S.-/1539/Act/2024/1539 Dated 06.12.2024 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **K-2612 Sub-Standard Food** होना पाया गया। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात डीओ

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने विक्रेता को पुनः जांच हेतु सूचित किया, खाद्योकारोबारकर्ता ने पुनः जांच करने का आवेदन प्रस्तुत नहीं किया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्तगण श्री **मुकेश कुमार पुत्र श्री श्योपतराय(विक्रेता), वार्ड न. 12, चक हरीपुरा, टिब्बी, हनुमानगढ़, मै0 श्री बालाजी डेयरी, वार्ड न. 3, इन्द्रा कोलोनी, धक्का बस्ती मस्जिद के सामने, पदमपुर, श्रीगंगानगर और श्री अंग्रेज पुत्र श्री देवीलाल (मालिक), वार्ड न.3, खेदासरी, हनुमानगढ़, मै. श्री बालाजी डेयरी, वार्ड न. 3, इन्द्रा कोलोनी, धक्का बस्ती मस्जिद के सामने, पदमपुर, श्रीगंगानगर** द्वारा अमानक स्तर का **गाय का दूध** विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii)/51 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 28.02.2025 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अप्रार्थी ने अपने जवाब में कथन किया कि उपरोक्त प्रकरण में दिनांक–27.11.2024 को दोपहर के बाद सायं 5:40 बजे इन्द्रा कालोनी धक्का बस्ती मस्जिद के सामने पदमपुर जिला श्री गंगानगर पर जंहा पर अग्रेंज सिंह पुत्र श्री देवी लाल जो की विक्रेता की हैसियत से मौजूद था गाय का दूध विक्रय करने हेतू बताया गया उपरोक्त संस्थान पर 2 कैन रखे हुए थे जिनमे गाय का दूध 30 लीटर अमानक बताया गया एवं धारा 26 (2) (11)/51 एफ एफ एस ए 2006 सहपठित नियम 2011 का उलघ्घन किया गया बताया गया। प्रार्थी का उपरोक्त प्रकरण मे सविनय निवेदन है कि उपरोक्त प्रकरण मे पाये गये दूध का फेट केवल कम था इसके बावजूद सब स्टेण्डर्ड फूड पाया गया है लेकिन प्रार्थी का निम्न निवेदन है कि भविष्य मे प्रार्थी उपरोक्त प्रकार की किसी भी गलती को नही करेगा अगर अमानक सब स्टेण्डर्ड पाया गया है तो भविष्य मे उपरोक्त गलती को नही दोहरायेगा। अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि नरमी का रूख अपनाते हुए प्रार्थी का निवेदन स्वीकार किया जावे भविष्य मे प्रार्थी विभाग के सभी नियमो का पालन करेगा।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **गाय का दूध** का सैम्पल **K-2612** स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक :–: L.S.-/1539/Act/2024/1539 Dated 06.12.2024 अनुसार **Sub-Standard Food** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (2)(ii) का उल्लधन किया है जिसका जुर्माना खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

अप्रार्थी ने अपनी बहस में जवाब के कथनों को ही दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपना जुर्म स्वीकार करता है। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुए प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे आपकी अति कृपा होगी।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of "Cow Milk" bearing Code No and Sr. No. **K-2612,** of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar is **Sub-Standard Food** as it does not conform to the prescribed standard of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additive) Regulations, 2011. की जांच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियुक्तगण **श्री मुकेश कुमार पुत्र श्री श्योपतराय(विक्रेता) मै0 श्री बालाजी डेयरी, वार्ड न. 3, इन्द्रा कोलोनी, धक्का बस्ती मस्जिद के सामने, पदमपुर, श्रीगंगानगर और श्री अंग्रेज पुत्र श्री देवीलाल (मालिक), मै. श्री बालाजी डेयरी, वार्ड न. 3, इन्द्रा कोलोनी, धक्का बस्ती मस्जिद के सामने, पदमपुर, श्रीगंगानगर** को एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत अभियुक्तगण **श्री मुकेश कुमार पुत्र श्री श्योपतराय(विक्रेता) मै0 श्री बालाजी डेयरी, वार्ड न. 3, इन्द्रा कोलोनी, धक्का बस्ती मस्जिद के सामने, पदमपुर, श्रीगंगानगर और श्री अंग्रेज पुत्र श्री देवीलाल (मालिक), मै. श्री बालाजी डेयरी, वार्ड न. 3, इन्द्रा कोलोनी, धक्का बस्ती मस्जिद के सामने, पदमपुर, श्रीगंगानगर** को **राशि रूपये 10,000—00 (अखरे रूपये दस हजार मात्र)** के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्तगण को यह निर्देश दिये जाते हैं कि भविष्य में खाद्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 11.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

(सुभाष कुमार)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(प्रशा0)
अति0 श्रीगंगानगर।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशा.) श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner